संख्या- 88/2015/367 /22-4-15-48(30)/14

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी

उप सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 **लखनऊ दिनांक- 28 मार्च, 2015**

विषय- कारागार विभाग में ई-प्रिजन योजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु अग्रिम भुगतान की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9076/शोध एवं प्र0सु0अनु0-5/ई-प्रिजन/2015, दिनांक-19 मार्च, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कारागार विभाग में ई-प्रिजन कार्ययोजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु नेशनल इनफारमेटिक सेण्टर सर्विसेज इंक(निक्सी) नई दिल्ली के माध्यम से कराने हेतु शासनादेश संख्या- 46/2015/154/22-4-15-48(30)/14, दिनांक- 28 फरवरी, 2015 द्वारा रू0 1,50,00,000/-(रूपया एक करोड़ पचास हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19 मार्च, 2015 द्वारा रू0 1,38,34,153/- की धनराशि निक्सी, नई दिल्ली को तथा रू0 2,43,400/- की धनराशि भारत संचार निगम लि0 लखनऊ को अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय कारागार विभाग में ई-प्रिजन योजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 150.00 लाख के सापेक्ष रू0 रू0 1,37,34,153/-(रूपया एक करोड़ सैंतीस लाख चौंतीस हजार एक सौ तिरपन मात्र) की धनराशि निक्सी, नई दिल्ली को तथा रू0 2,43,400/-(रूपया दो लाख तिरासिल हजार चार सौ मात्र) की धनराशि भारत संचार निगम लि0, लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रश्नगत अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/-69, दिनांक 25.10.83 तथा संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10.06.2011 में निहित शर्तो/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) समस्त सम्बन्धित वित्तीय नियमों, प्रक्रिया और इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का समायोजना निर्धारित समयावधि में कर लिया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि के आहरण से यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए आहरण वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

3- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 की आशासकीय संख्या- एफ0ए0-1-121/दस-2015, दिनांक-28.03.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-88/2015/367(1)/22-4-2015-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) महाप्रबंधक, नेशनल इन्फारमेटिक्स सेन्टर, सर्विसेज इंक, हाल नं0-2 एण्ड छठवां तल एन0बी0सी0सी0 टावर, भीखा जी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-66

(4) मुख्य महाप्रबंधक, दूरसंचार, उ0प्र0 पूर्वी परिमण्डल(इन्टर प्राइज बिजनेस इकाई) भोपाल हाउस, लालबाग, लखनऊ।

(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in